

मध्य प्रदेश शासन
वित्त विभाग, मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक/ 167 /2913/2021/ई/चार,

भोपाल, दिनांक 19/01/2022

---//आदेश//---

राज्य शासन द्वारा आयुक्त, कोष एवं लेखा के अधीन कार्यरत म०प्र० कोषालयीन संवर्ग के निम्नलिखित तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों को स्थानान्तरित करते हुए अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक उनके नाम के समक्ष कॉलम क्रमांक 5 में उल्लेखित नवीन पदस्थापना स्थल पर पदस्थ किया जाता है:-

क्र	कर्मचारी का नाम	पदनाम	वर्तमान पदस्थापना कार्यालय	नवीन पदस्थापना कार्यालय	रिमार्क	यूनिक एम्पलाई कोड
1	2	3	4	5	6	7
1	श्रीमती अंतिमा विश्वकर्मा	सहायक ग्रेड-3	जिला कोषालय उज्जैन	संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा, उज्जैन	प्रशासकीय आधार पर	-----
2	श्री वीरेन्द्र रघुवंशी	सहायक ग्रेड-3	जिला कोषालय, अशोकनगर	जिला पेंशन कार्यालय, अशोकनगर	प्रशासकीय आधार पर (जिला पेंशन कार्यालय अशोकनगर में रिक्त सहायक ग्रेड-2 के पद के विरुद्ध)	-----

स्थानान्तरण आदेश जारी होने के दो सप्ताह के भीतर स्थानान्तरित शासकीय सेवकों को कार्यमुक्त किया जाना अनिवार्य होगा। यदि किन्हीं महत्वपूर्ण लिखित शासकीय कार्यों को निपटाने के लिए कार्यमुक्त करने में कठिनाई हो तो कार्यमुक्त करने के लिये सक्षम अधिकारी द्वारा स्थानान्तरण आदेश जारी करने वाले अधिकारी को पूर्वोक्त दो सप्ताह की अवधि बढ़ाने का तत्काल अनुरोध किया जाएगा। जिसमें सक्षम प्राधिकारी द्वारा 10 दिवस से अनाधिक की वृद्धि की जा सकेगी। दो सप्ताह की सामान्य अवधि अथवा बढ़ी हुई समयावधि व्यतीत हो जाने पर सक्षम प्राधिकारी स्थानान्तरित शासकीय सेवक को कार्यमुक्त करेगा। उक्त अवधि में स्थानान्तरित शासकीय सेवक यदि कार्यमुक्त नहीं होता है तो उसे एकतरफा कार्यमुक्त किया जाएगा। एकतरफा कार्यमुक्त किये जाने की तिथि से स्थानान्तरण आदेश क्रियान्वित होना माना जाएगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(मनोज कुमार जैन)


उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

पृ. क्रमांक/ 168 /2913/2021/ई/चार,
प्रतिलिपि

भोपाल, दिनांक 19 /01/2022

- 01- माननीय वित्त मंत्री जी के विशेष सहायक, ।
 - 02- प्रमुख सचिव/सचिव म०प्र०शासन वित्त विभाग मंत्रालय ।
 - 03- आयुक्त कोष एवं लेखा, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
 - 04 संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा, उज्जैन, ग्वालियर ।
 - 05 जिला कोषालय अधिकारी, उज्जैन, अशोकनगर।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।



अचर सचिव
म०प्र०शासन, वित्त विभाग

मध्य प्रदेश शासन
वित्त विभाग, मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक/ 169 /2913/2021/ई/चार,

भोपाल, दिनांक 19/01/2022

---//आदेश//---

राज्य शासन द्वारा आयुक्त, कोष एवं लेखा के अधीन कार्यरत म०प्र० कोषालयीन चतुर्थ श्रेणी संवर्ग के निम्नलिखित कर्मचारियों को स्थानान्तरित करते हुए अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक उनके नाम के समक्ष कॉलम क्रमांक 5 में उल्लेखित नवीन पदस्थापना स्थल पर पदस्थ किया जाता है:-

क्र	कर्मचारी का नाम	पदनाम	वर्तमान पदस्थापना कार्यालय	नवीन पदस्थापना कार्यालय	रिमार्क	यूनिक एम्पलाई कोड
1	2	3	4	5	6	7
1	श्री गिरीष साहू	भृत्य	संभागीय संयुक्त संचालक कोष एवं लेखा सागर	प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, सागर	प्रशासकीय आधार पर	-----
2	श्री तुलसी राम पटेल	भृत्य	प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, सागर	संभागीय संयुक्त संचालक कोष एवं लेखा सागर	प्रशासकीय आधार पर	-----

स्थानान्तरण आदेश जारी होने के दो सप्ताह के भीतर स्थानान्तरित शासकीय सेवकों को कार्यमुक्त किया जाना अनिवार्य होगा। यदि किन्हीं महत्वपूर्ण लंबित शासकीय कार्यों को निपटाने के लिए कार्यमुक्त करने में कठिनाई हो तो कार्यमुक्त करने के लिये सक्षम अधिकारी द्वारा स्थानान्तरण आदेश जारी करने वाले अधिकारी को पूर्वोक्त दो सप्ताह की अवधि बढ़ाने का तत्काल अनुरोध किया जाएगा। जिसमें सक्षम प्राधिकारी द्वारा 10 दिवस से अनाधिक की वृद्धि की जा सकेगी। दो सप्ताह की सामान्य अवधि अथवा बढ़ी हुई समयावधि व्यतीत हो जाने पर सक्षम प्राधिकारी स्थानान्तरित शासकीय सेवक को कार्यमुक्त करेगा। उक्त अवधि में स्थानान्तरित शासकीय सेवक यदि कार्यमुक्त नहीं होता है तो उसे एकतरफा कार्यमुक्त किया जाएगा। एकतरफा कार्यमुक्त किये जाने की तिथि से स्थानान्तरण आदेश क्रियान्वित होना माना जाएगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार,

(मनोज कुमार जैन)


उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

पृ. क्रमांक/ 170 /2913/2021/ई/चार,
प्रतिलिपि

भोपाल, दिनांक 19 /01/2022

- 01- माननीय वित्त मंत्री जी के विशेष सहायक, ।
 - 02- प्रमुख सचिव/सचिव म०प्र०शासन वित्त विभाग मंत्रालय ।
 - 03- आयुक्त कोष एवं लेखा, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
 - 04 संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा, सागर ।
 - 05 जिला कोषालय अधिकारी, सागर ।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।



सचिव
म०प्र०शासन, वित्त विभाग